| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17/7/17 | पत्रावली पेश हुई।<br>प्रार्थी अधिवक्ता उप0।<br>प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई।<br>प्रार्थी का निवेदन इस प्रकार है कि वक्त इजलास में अति आवश्यक कार्य होने के कारण बैंच चला गया तब श्रीमान द्वारा उक्त पत्रावली को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारीज कर दिया, जबकि उक्त नेखंबन्दी की पत्रावली मे विप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामिल हो चुके है जिनकी रसीद भी प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः न्यायहित मे प्रार्थी की परिस्थिति पर विचार करते हुए आवेदन मे पारित आदेश को निरस्त फरमाते हुए एवं प्रार्थी को सुनवाई का विधिसफत आधार प्रदान करने हुए प्रकरण की बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर आदेश फरमावें।<br>हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी व बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विप्रार्थीगण कि तलबी की प्रकिया पूर्ण हो चुकी थी। अतः न्यायाहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.06.2019 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है, तो प्रकरण को वास्ते सुनवाई पुनः दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।<br>संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी खेत, ग्राम हडवा, पटवार हल्का गूंगा, भू – अभिलेख निरीक्षक– गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 176 रकबा 30.05 बीघा भूमि आई हुई है।<br>प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा – सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।<br>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 05 | |
| उपखण्ड अधिकारी शिव | | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह

राजस्व आवेदन संख्या :–80 /2019

क्रमांक / आवेदन / 19 / 4610 दिनांक–2/9/19

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

**देवीलाल पुत्र बींजाराम, जाति– कुमावत, नि0 हडवा, तह0 शिव** बनाम **आईदानराम पुत्र सांगाराम वगैरा (05)**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

**आदेश**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण मे ग्राम हडवा, पटवार हल्का गूंगा, भु– अभिलेख निरीक्षक – गूंगा के खेत खसरा नम्बर 176 रकबा 30.05 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमीशनर शुल्क 1000/– मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक / आवेदन / 19 / 4611 – 16 दिनांक–2/9/2019

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव़ को पालनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी गूंगा को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना **शिव को पालनार्थ।**
5. प्रार्थी देवीलाल पुत्र बींजाराम **को सूचनार्थ ।**
6. विप्रार्थीगण **आईदानराम पुत्र सांगाराम वगैरा (5) को सूचनार्थ।**

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

को नोटिस भेजे गये , जो बाद तामिल प्राप्त हुए है , जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। बाद तामिल विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है।

अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 05 के सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थी की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

## – आदेश –

अतः प्रार्थी देवीलाल पुत्र बींजाराम, जाति कुमावत, निवासी हडवा, तहसील शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हडवा, पटवार हल्का गूंगा, भू – अभिलेख निरीक्षक– गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 176 रकबा 30.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/– रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमबंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: